

फार्म-1

(i) अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट्स की स्थापना करने, (ii) टीवी चैनलों को अपलिंक करने (समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम एवं गैर-समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम दोनों के लिये) और समाचार एजेंसियों को अपलिंक करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म

(एक मूल फार्म तथा चार उसी तरह की प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएं)

सचिव,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
शास्त्री भवन, 'ए' विंग,
नई दिल्ली-110001.

विषय : की अनुमति हेतु आवेदन

(कृपया आवेदन करने का उद्देश्य लिखें)

महोदय,

मैं एतद्द्वारा अन्य विवरणों के अतिरिक्त, अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई पात्रता के समर्थन में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ :

1. i) आवेदक कंपनी का नाम :

ii) निदेशकों का विवरण (सीईओ/एमडी से शुरू) :

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट विवरण, यदि कोई हो	धारण किए गए पद	पता

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

(अनुमति प्रदान करने से पूर्व निदेशक बोर्ड में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल मंत्रालय को दी जानी चाहिए। अनुमति प्रदान किये जाने के बाद निदेशकों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले कंपनी को मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।)

2. i) पता (कार्यालय)

(क) मुख्य कार्यालय

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय

ii) टेलीफोन नम्बर

फैक्स :

ई-मेल :

iii) पंजीकरण विवरण (ज्ञापन तथा संघ के अधिनियम संलग्न करें)

3. इक्विटी पूंजी की संरचना

i) अधिकृत शेयर पूंजी : रू.

ii) भुगतान की गई शेयर पूंजी : रू.

4. शेयर-धारिता पैटर्न : (अनुलग्नक के अनुसार विवरण संलग्न करें)

i) सीधा निवेश

(क) भारतीय प्रतिशत

(ख) विदेशी प्रतिशत

विदेशी सीधे निवेश का अलग-अलग विवरण

व्यक्तिगत प्रतिशत

कंपनी प्रतिशत

एनआरआई प्रतिशत

ओसीबी प्रतिशत

पीआईओ प्रतिशत

भारत से अपलिफिंग हेतु आवेदन

ii) पोर्टफोलियो निवेश

(क) भारतीय प्रतिशत

(ख) विदेशी प्रतिशत

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का अलग-अलग विवरण

एफआईआई

एनआरआई

ओसीबी

पीआईओ

iii) कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)

(खण्ड 3.1.3 के अनुसार सीधी विदेशी इक्विटी सहित विस्तृत गणना को दर्शाएं तथा सभी निवेश करने वाली कंपनियों की एसएचपी संलग्न करें।)

5. (i) निवल पूंजी :

(तत्काल पूर्व वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा एवं संलग्न किए गए फार्मेट के अनुसार इन दस्तावेजों के आधार पर सनदी लेखाकार द्वारा प्रदान किए गए निवल पूंजी के प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न करें, यदि निवल पूंजी प्रमाण-पत्र वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से भिन्न तारीख को तैयार किया गया हो तो इसके साथ ऐसे प्रमाणन की तारीख को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणित तुलन-पत्र लगाया जाना चाहिए।)

(ii) निधियन स्रोत :

(सभी तकनीकी विवरणों, निधियों के प्रवाह तथा निधियन स्रोतों के साथ परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।)

6. कार्यकलाप क्षेत्र :

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

7. (i) अपलिंकिंग एवं डाऊनलिंकिंग हेतु ट्रांसपॉंडर का विवरण :

किराए पर लिए जाने वाले प्रस्तावित सैटेलाइट का नाम	ओरबिटल अवस्थिति	बैंडविड्थ के साथ ट्रांसपॉंडर की संख्या एवं प्रकार	भारत में प्राइमरी जोन में सिग्नल की प्रबलता	उस कंपनी का नाम जिससे सैटेलाइट/ट्रांसपॉंडर को पट्टे पर लिया जाना है	अपलिंक एवं डाऊनलिंक फ्रीक्वेंसी

(पट्टा करार तथा किराए पर लिए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित सैटेलाइट का फुटप्रिंट)

(ii) विदेशी सैटेलाइट के मामले में, भारतीय सैटेलाइट पर क्षमता का प्रयोग नहीं करने के विस्तृत कारणों को संलग्न किया जाना चाहिए।

टेलीपोर्ट हेतु आवेदन के मामले में अतिरिक्त विवरण

8. टेलीपोर्ट का विवरण

- i) टेलीपोर्ट की अवस्थिति
- ii) टेलीपोर्ट की क्षमता (प्रस्तावित)
 - (क) चैनलों की संख्या
 - (ख) सैटेलाइटों की संख्या
 - (ग) टेलीपोर्ट में शामिल प्रस्तावित भू-स्टेशनों की संख्या
 - (घ) टेलीपोर्ट शुरू करने की अनुमानित तारीख
 - (ङ.) टेलीपोर्ट/ईआईआपी के एंटीना का आकार

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

किसी टीवी चैनल की अपलिकिंग हेतु आवेदन के मामले में अतिरिक्त विवरण (गैर-समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम तथा समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम, दोनों हेतु)

9. अपलिकिंग हब (टेलीपोर्ट) का विवरण

- क) अपलिकिंग हेतु टेलीपोर्ट प्रदान करने वाली कंपनी का नाम एवं पता
- ख) टेलीपोर्ट की अवस्थिति
- ग) टेलीपोर्ट/ईआईआरपी के एंटीना का आकार
- घ) टेलीपोर्ट का अनुमति विवरण, इसकी संचालनात्मकता की स्थिति तथा टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता के साथ हुए करार की अवधि

(थर्ड पार्टी टेलीपोर्ट के मामले में टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता के साथ हुए करार की एक प्रति संलग्न करें)

10. प्रस्तावित हब/टेलीपोर्ट्स से अपलिकिंग शुरू करने की प्रस्तावित तारीख को दर्शाते हुए अपलिक किए जाने वाले चैनलों की संख्या एवं नाम

क्र.सं.	चैनल का नाम	भाषा	डिजीटल या एनालॉग	फ्री-टू-एयर या इनक्रिप्टिड	अपलिकिंग शुरू करने की प्रस्तावित तारीख

11. क्या फार्म 1क और 1ख या 1ग में की गई घोषणा को संलग्न किया गया है। (हां/नहीं) तथा विवरण को भी दर्शाएं।

(कृपया नोट करें कि फार्म 1क तथा 1ख में घोषणा की आवश्यकता समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम के टीवी चैनलों हेतु होती है जबकि फार्म 1क तथा 1ग में घोषणा गैर-समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम वाले टीवी चैनलों के लिए प्रस्तुत करनी होती है।)

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम वाले टीवी चैनल हेतु आवेदन के मामले में अतिरिक्त विवरण

12. समाचार संपादक, समाचारों एवं वर्तमान घटनाक्रम पर संपादकीय नियंत्रण करने वाले प्राधिकरणों/निकायों का विवरण

क्र.सं.	नाम/पिता-माता	जन्म की तारीख	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट विवरण, यदि कोई हो	धारित पद	पता

(अनुमति प्रदान किए जाने से पहले समाचार संपादक में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल इस मंत्रालय को दी जानी चाहिए। कंपनी को अनुमति प्रदान करने के बाद इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।)

13. क्या निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व कंपनी में शेयरधारिता के समानुपात में है (हां/नहीं)

यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है :

14. प्रेस सूचना ब्यूरो प्रत्यायन विवरण (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

15. क्या कंपनी पात्रता मानदंडों के खण्ड (ग) के समरूप है (हां/नहीं)

(अनुपालना के समर्थन में दस्तावेजों को तथा इस संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

16. शेयरधारक समझौतों, ऋण समझौतों तथा अन्य ऐसे समझौतों को जिनको अंतिम रूप दिया जा चुका है या जिन्हें किया जाना प्रस्तावित है, के बारे में प्रकटीकरण प्रस्तुत करें। (सभी दस्तावेजों को संलग्न करें) :

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

समाचार एजेंसियों को अपलिंकिंग हेतु आवेदन के मामले में अतिरिक्त विवरण

17. प्रेस सूचना ब्यूरो प्रत्यायन विवरण (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
18. क्या समाचार एजेंसी पर भारतीयों का 100 प्रतिशत स्वामित्व है, यदि हां तो अनुलग्नक के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न को विवरण सहित संलग्न करें।
19. समाचार सामग्री के वितरण हेतु उपस्कर का विवरण प्रस्तुत करें
 - (i) एसएनजी
 - (ii) डीएसएनजी
 - (iii) स्थायी भू-केन्द्र
20. समाचार सामग्री को एकत्रित करने में उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का विवरण प्रस्तुत करें
 - (i) एसएनजी
 - (i) डीएसएनजी
21. वे स्थल जहां पर समाचार एकत्रण/वितरण उपस्कर को स्थापित किया जाएगा।

मैं/हम, आवेदक एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त तथ्य पूर्ण रूप से सही है।

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

[कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी]

नाम :

कार्यालय पता :

मोहर

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले संलग्नकों की सूची

कृपया आवेदन के साथ संलग्न निम्नलिखित दस्तावेजों के सामने निशान लगाएं (जो भी लागू हो) :

- (1) ज्ञापन एवं संघ के अधिनियम [बिन्दु 2(iii)]।
- (2) आवेदक कंपनी हेतु तालिका 1 तथा निवेश करने वाली कंपनियों हेतु तालिका 2 (बिन्दु 4) के अनुसार शेयरधारित पैटर्न।
- (3) एफआईपीबी अनुमोदन की प्रति के साथ कंपनी में विदेशी इक्विटी (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) [बिन्दु 4 (iii)] हेतु गणना शीट।
- (4) तत्कालीन पूर्व वित्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा एवं इन दस्तावेजों के आधार पर [बिन्दु 5 (i)] सनदी लेखाकार द्वारा जारी निवल पूंजी प्रमाण-पत्र (टिप्पणियों के साथ संलग्न फार्मेट के अनुसार)।
 - (4.1) यदि निवल पूंजी प्रमाण-पत्र वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से भिन्न तारीख को जारी किया गया हो तो इसके साथ ऐसे प्रमाणन की तारीख को सांविधिक लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणित तुलन-पत्र संलग्न करें।
 - (4.2) यदि शेयरों का आबंटन सम्पत्ति/उपस्कर के मूल्य-निरूपण के आधार पर किया गया हो तो अनुमोदित मूल्य-निरूपणकर्ता से प्राप्त मूल्य-निरूपण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- (5) सैटेलाइट पट्टा करार तथा फुटप्रिंट का विवरण (बिन्दु 7)।
- (6) परियोजना [रिपोर्ट बिन्दु 5 (ii)]।
- (7) थर्ड पार्टी टेलीपोर्ट के मामले में टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता के साथ हुए करार की प्रति (बिन्दु 9)।
- (8) प्रेस सूचना ब्यूरो प्रत्यायन प्रमाण-पत्र (बिन्दु 14)।

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

- (9) खण्ड (ग) की अनुपालना में सभी समर्थन दस्तावेजों के साथ सनदी लेखाकार द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र [बिन्दु 15]।
- (10) शेयरधारिता एवं ऋण करार, यदि कोई हो [बिन्दु 16]।
- (11) फार्म 1क एवं 1ख या 1ग में शपथ-पत्र बिन्दु [11]।
- (12) कोई अन्य :

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम :

कार्यालय पता :

[आवेदन के सभी पृष्ठों को विपरीत क्रम में (अंतिम पृष्ठ को 1 नम्बर दिया जाए) संख्या प्रदान की जाएं तथा इन्हें मोहर सहित कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए]

[नोट : पूरी सूचना उपलब्ध न करवाए जाने की स्थिति में, आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा इसे तुरंत कंपनी को वापस लौटा दिया जाएगा।]

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

फार्म 1 का अनुलग्नक

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शेयरधारिता पैटर्न हेतु फार्मेट

तालिका-1

आवेदक कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न

मैसर्स दिनांक

शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य रू.

क्र.सं.	शेयरधारियों की श्रेणी	शेयर धारिता			
		सीधा निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की संख्या	कुल भुगतान किए गये शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल भुगतान किए गए शेयरों का प्रतिशत
1.	भारतीय व्यक्तिगत				
2.	भारतीय कंपनी				
3.	विदेशी व्यक्तिगत				
4.	विदेशी कंपनी				
5.	एनआरआई				
6.	ओसीबी				
7.	एफआईआई				
8.	पीआईओ				
9.	कोई अन्य				

(i) भारतीय कंपनियों हेतु, प्रत्येक कंपनी के लिए तालिका-2 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सूचना भी प्रस्तुत की जाए।

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

(ii) आवेदक कंपनी में प्रत्येक भारतीय कंपनी द्वारा धारिता शेयरों की संख्या का अलग-अलग पूरा विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) एफडीआई के मामले में एफआईपीबी के अनुमोदन की प्रति संलग्न करें।

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

तालिका-2

तालिका-1 के कॉलम (1) में क्र.सं. 2 के अनुसार आवेदक कंपनी में प्रत्येक भारतीय शेयरधारी कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण

i) कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न

मैसर्स दिनांक को

शेयर का प्रत्यक्ष मूल्यरु.

क्र.सं.	शेयरधारिता की श्रेणी	शेयर धारिता			
		सीधा निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की संख्या	भुगतान किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	भुगतान किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	भारतीय व्यक्तिगत				
2.	भारतीय कंपनी				
3.	विदेशी व्यक्तिगत				
4.	विदेशी कंपनी				
5.	एनआरआई				
6.	ओसीबी				
7.	एफआईआई				
8.	पीआईओ				
9.	कोई अन्य				

ii) -वही-

iii) -वही-

नोट : आवेदक कंपनी में शेयरधारी प्रत्येक भारतीय कंपनी के बारे में उन्हीं सूचनाओं को दुबारा लिखें।

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

फार्म-1क

हलफनामा/वचन-पत्र (20 रु. के स्टैप पेपर पर नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरित)

जबकि, मैंने श्री पुत्र श्री ने
क्षमता के तहत (पदनाम) मैसर्स की तरफ से से
..... (स्थान) तक टीवी चैनल की अपलिकिंग की अनुमति/अनुमोदन
हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन किया है।

जबकि, उपरोक्त अनुमोदन/अनुमति से पूर्व एक शर्त के रूप में, मुझे केबल टेलीविजन
नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत
निर्धारित किए गए कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों की अनुपालना करनी होगी।

जबकि, मैंने ऊपर वर्णित कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों का अध्ययन कर लिया है।

जबकि, मुझे इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार से प्रदान की गई
अनुमति/अनुमोदन को मेरे द्वारा कथित कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों की अनुपालना करने
में विफल रहने पर वापस लिया जा सकता है।

इसलिए, अब मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित की शपथ लेता हूँ :

i) मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित
किए गए कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोडों की अनुपालना करने की शपथ लेता हूँ।

ii) मैं ऊपर वर्णित टीवी चैनलों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा
निर्धारित की जाने वाली मॉगी गई सार्वजनिक शिकायतों, कार्यक्रम विषय-वस्तु तथा
अन्य से संबंधित कोई भी सूचना आवधिक तौर पर प्रस्तुत करने की शपथ लेता हूँ।

iii) मैं प्रसारण सेवा के सतत् अनुवीक्षण हेतु मेरे स्वयं के खर्चे पर आवश्यक उपस्कर तथा सुविधा प्रदान करने तथा प्रसारित की गई सामग्री की रिकार्डिंग को प्रसारण की तारीख से 3 महीने की अवधि तक सुरक्षित रखने तथा इसे जब कभी भी आवश्यक होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करने की शपथ लेता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कंपनी की मोहर

स्थान:

दिनांक :

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

फार्म-1ख (समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम वाले टीवी चैनलों हेतु)

हलफनामा/वचन-पत्र

(100 रू. के स्टैप पेपर पर एवं नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरित)

जबकि, मैसर्स ने टीवी चैनल की अपलिकिंग हेतु अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन किया है।

जबकि, फार्म 1क में शपथ-पत्र के साथ फार्म 1 में सूचनाएं तथा तालिका-1 एवं तालिका-11 में घोषणाएं प्रदान कर दी गई हैं।

जबकि, मुझे इस बात की जानकारी है कि आवेदन पत्र तथा फार्म-1क, 1ख एवं तालिका-1 तथा तालिका-11 में दी गई सूचनाएं इस अनुमति का समग्र भाग हैं।

मैं एतद्वारा यह शपथ लेता हूँ कि मैं पूरे समय के दौरान समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों वाले टीवी चैनलों की अपलिकिंग हेतु लागू सभी शर्तों एवं नियमों की अनुपालना करूँगा।

के लिए एवं की तरफ से
मैसर्स

कंपनी सचिव
कंपनी की मोहर

दिनांक :

स्थान :

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

फार्म-1ग

हलफनामा/वचन-पत्र

(गैर-समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों वाले टीवी चैनलों हेतु)
(100 रु. के स्टैप पेपर पर तथा नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरित)

जबकि, मैसर्स ने टीवी चैनल की अपलिंकिंग की अनुमति/अनुमोदन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन किया है।

जबकि, फार्म-1क में हलफनामों के साथ फार्म-1 में सूचनाएं तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों (अर्थात् ज्ञापन एवं संघ के अधिनियम, परियोजना रिपोर्ट, सैटेलाइट पट्टा करार इत्यादि) के साथ तालिका I एवं तालिका II में घोषणाएं प्रदान कर दी गई हैं।

जबकि, हम समझते हैं कि आवेदन-पत्र तथा फार्म 1क, 1ग एवं तालिका I एवं II तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों में दी गई जानकारियाँ समग्र रूप से इस अनुमति का भाग हैं।

हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि यह चैनल पूर्णतः मनोरंजक चैनल है तथा इसमें कोई भी समाचार या वर्तमान घटनाक्रमों पर आधारित कार्यक्रम शामिल नहीं है।

हम एतद्वारा यह शपथ लेते हैं कि चैनल की कार्यक्रम विषय-वस्तु में समाचार/वर्तमान घटनाक्रमों को शामिल करने के साथ ही किसी विदेशी इक्विटी//प्रबंध नियंत्रण को शामिल करने के लिए स्वामित्व पैटर्न में किसी बदलाव के लिए, टीवी चैनलों की अपलिंकिंग हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार से नए सिरे से अनुमति प्राप्त करेंगे तथा इस प्रकार के प्रस्ताव परिवर्तन की पूर्व सूचना सरकार को प्रदान की जाएगी।

हम समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में सूचना प्रदान करने की भी शपथ लेते हैं।

के लिए और की तरफ से
मैसर्स

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
कंपनी की मोहर

दिनांक :

स्थान :

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा निवल पूंजी के प्रमाण-पत्र हेतु फार्मेट

हमने 31 मार्च, 20 को समाप्त वित्तीय वर्ष/दिनांक/माह/वर्ष को समाप्त अवधि हेतु मैसर्स की लेखा-बहियों का लेखा परीक्षण किया है तथा यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 20..... दिनांक/माह/वर्ष की स्थिति के अनुसार मैसर्स की निवल पूंजी रु. (रु. शब्दों में) है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स (कंपनी का नाम) की निवल पूंजी की गणना निम्न प्रकार से की गई है :

क्र.सं.	विवरण	राशि लाख रु. में
1.	परिसम्पत्तियों का बही मूल्य	
2.	काल्पनिक तथा अस्पृश्य परिसम्पत्तियों का बही मूल्य	
3.	मालिक की निधियों के अतिरिक्त देयताएं	
4.	निवल पूंजी {1-(2+3)}	

नोट :

1. "निवल पूंजी" को कंपनी अधिनियम की धारा 2(29क) के अंतर्गत निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

'निवल पूंजी का अर्थ है निर्धारित किए जाने वाले प्रावधानों/खर्चों को घटाने के बाद भुगतान की गई पूंजी तथा फ्री सुरक्षित राशि का कुल योग'

इस खण्ड के स्पष्टीकरण के उद्देश्यार्थ "फ्री सुरक्षित राशि" का अर्थ है लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाते से तैयार की गई सभी सुरक्षित राशियां परंतु इसमें परिसम्पत्तियों के पुनःमुल्यांकन, मूल्यों में हुई कमी को पुनः लिखने, प्रावधानों तथा मूल्यहास से तैयार की गई सुरक्षित राशि को शामिल नहीं किया जाता है।"

2. निवल पूंजी

किसी उपक्रम की इसकी देयताओं पर परिसम्पत्तियों के बही मूल्य (काल्पनिक परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त) की अधिकता।

भारत से अपलिकिंग हेतु आवेदन

"परिसम्पत्तियों का बही मूल्य"

वह राशि जिस पर किसी मद को लेखा बहियों या वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इसमें किसी विशेष आधार को नहीं दर्शाया जाता है जिसके आधार पर राशि का निर्धारण किया जाता है, उदाहरण के लिए लागत, प्रतिस्थापन मूल्य इत्यादि।

"काल्पनिक परिसम्पत्तियाँ"

वे मदें जिन्हें तुलन-पत्र में उन परिसम्पत्तियों के समूह के तहत रखा गया है जिनका वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता (उदाहरण के लिए लाभ का डेबिट बैलेंस तथा हानि का खाता)।

"देयताएँ"

मालिक की निधियों के अतिरिक्त किसी उपक्रम की वित्तीय बाध्यताएं।

मालिक की निधियों का अर्थ है भुगतान की गई पूंजी तथा फ्री सुरक्षित राशि।

इस खण्ड की व्याख्या के उद्देश्यार्थ "फ्री सुरक्षित राशि" का अर्थ है, लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाते से तैयार की गई सभी सुरक्षित राशियाँ परंतु इसमें परिसम्पत्तियों के पुनः मुल्यांकन, मूल्यों में हुई कमी को पुनः लिखने, प्रावधानों तथा मूल्यहास से तैयार की गई सुरक्षित राशि को शामिल नहीं किया जाता है।

(इस नोट को प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र से कृपया नहीं जाना चाहिए)

भारत से अपलिंकिंग हेतु आवेदन